प्रेस-विज्ञप्ति

दीव की जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव हेतु मतदान केन्द्रों की अंतिम सूचना प्रकाशित की गई

दीव 16 अक्टूबर, 2020 : 8 नवम्बर को होने वाले दीव जिला पंचायत के आठ सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान केन्द्रों हेतु अंतिम सूचना प्रकाशित कर दी गई है। दीव जिला पंचायत निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सलोनी राय ने दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव (पंचायत) (निर्वाचन प्रक्रिया) (संशोधित) नियमावली, 2015 के नियम 26 के तहत चुनाव आयुक्त के पूर्व अनुमोदन पर मतदान केन्द्रों की अंतिम सूचना जारी कर दी है।

प्रकाशित अंतिम सूचना के अनुसार दीव के ग्रामीण विस्तार में कुल 50 मतदान केन्द्रों की स्थापना की गई है। वणांकवारा को मतदान की दृष्टि से कुल तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें कुल 25 मतदान-केन्द्र बनाये गये हैं । वणांकवारा-ए में कुल 7 मतदान केन्द्र, वणांकवारा-बी में 10 मतदान केन्द्र और वणांकवारा-सी में 8 मतदान-केन्द्र बनाये जाने की सूचना प्रकाशित की गई है।

दीव के साउदवाडी ग्रामीण विस्तार को ए और बी दो भागों में विभाजित किया गया है। इसमें साउदवाडी-ए में 4 मतदान-केन्द्र और साउदवाडी-बी में 5 मतदान केन्द्र स्थापित किये जाने की सूचना जारी की गई है। इसी तरह बुचरवाडा को भी ए और बी दो भागों में विभाजित करते हुए दोनों विस्तारों में 4-4 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं।

पुन: ग्राम पंचायत के 4 सरपंच और 38 सदस्यों के चुनाव हेतु ग्राम पंचायतों के निर्वाचन अधिकारी एवं उप-समाहर्ता श्री हरमिंदर सिंह ने भी दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव (पंचायत) (निर्वाचन प्रक्रिया) (संशोधित) नियमावली, 2015 के नियम 26 के तहत चुनाव आयुक्त के पूर्व अनुमोदन पर मतदान केन्द्रों की अंतिम सूचना जारी की है। प्रकाशित अंतिम सूचना के अनुसार वणाकवारा में 25, साउदवाडी में 9 और बुचरवाडा एवं जोलावाडी ग्राम विस्तार में 8-8 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं।

हस्ता/-

(नोडल अधिकारी/जन-संपर्क अधिकारी)